

फाइल नंबर 6/34/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली

18.11.2024

विषय: कुवैत, सऊदी अरब और सिंगापुर में उत्पन्न या वहां से निर्यातित मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच में अंतिम उत्पाद कार्यक्षेत्र/पीसीएन पद्धति।

- एक. उपरोक्त शीर्षक वाली जांच 27 सितंबर, 2024 को दीक्षा अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई थी। इच्छुक पार्टियों को पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो, तो पीसीएन का प्रस्ताव करने का अवसर दिया गया था, दीक्षा की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर। इसके बाद, टिप्पणी करने की प्रारंभिक समय-सीमा 26 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दी गई थी। पीयूसी के कार्यक्षेत्र अथवा पीसीएन के प्रस्ताव के संबंध में किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- दो. तदनुसार, प्राधिकरण ने पीसीएन के बिना जांच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है और पीयूसी का दायरा वही है जो 27.09.2024 की दीक्षा अधिसूचना में है।
- तीन. इच्छुक पार्टियों को इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर यानी **18.12.2024 तक** अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। सभी इच्छुक पार्टियों को उपरोक्त समय के भीतर अपेक्षित प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।
- चार. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एसडी/-
(राजीव कुमार सोनी)
निदेशक (एफटी)
दूरभाष संख्या: 011-23408728
ईमेल: jd12-dgtr@gov.in